न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 26 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
हसन खां पुत्र श्री हाजीखां कौम मुसलमान निवासी सागाणा तहसील सायला जिला जालोर	1. मादल खां पुत्र श्री राधू खां 2. मिसरे खां पुत्र श्री अकबर खां 3. खमीशा खां पुत्र अकबर का.मु. 3/1उमरखां पुत्र श्री खमीशा खां 3/2 कुरबानखां पुत्र श्री खमीशा खां 3/3 कोजेखां पुत्र श्री खमीशा 3/4 रजाकखां पुत्र श्री खमीशा खां 3/5 आदमखां पुत्र श्री खमीशा खां 3/6 दली पत्नी खमीशा खां 4. मुसे खां पुत्र श्री अकबर खां 5. आलम खां पुत्र श्री अकबर खां 6. अहमद खां पुत्र श्री अकबर खां 7. रहीमों धर्मपत्नी श्री अकबर खां 8. लतीफ खां पुत्र श्री मुरीद खां 9. रिमू खां पुत्र श्री दीनू खां 10. मठार खां पुत्र श्री जानू खां 11. लखमीर खां पुत्र श्री जानू खां कौम मूसलमान निवासी भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 12. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2013 बअनवान मादल खां वगैरा बनाम मिसरे खां वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.07.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.01.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। अपीलांटस व उतरदातागण के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 626 रकबा 88.03 बीघा की आई हुई है, वादीगण 01 व कथित वादीगण 02 द्वारा भूमि खरीदी जाकर माफिक विक्रेताओं के कब्जा सुपुर्द अनुसार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई वाद पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी से तलब करने का आदेश पारित की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस को वादी बताते हुए वाद पेश किया गया जबकि मूल वाद में लगे वकालतनामा पर अपीलांटस के हस्ताक्षार ही नहीं है, इस बात पर अधीनस्थ न्यायालय न कोई ध्यान नहीं दिया व बिना हसन खां को न्यायालय में उपस्थित किये व सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गिडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गिडा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गिडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार कर पेश किया गया। हस्तगत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड कर उभयपक्ष की उपस्थिति में मौके से विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में तैयार कर मंगवाया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है तो अपील स्वीकार करने में रेस्पोडेंटस को कोई आपति नहीं है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। 15 दिन पूर्व उतरदातागण 01 जबरन अपीलांटगण के कब्जा काश्त की भूमि पर स्थित बाड़ व तारबंदी तोड़ कर अपीलांट के कब्जा की भूमि में कब्जा करने को आमादा हुए जिस पर अपीलांट ने गांव के मौजिज लोगों को इकठ्ठा कर कारण पूछा तो उतरदातागण 01 ने कहा कि तुम्हारे कब्जे की भूमि की तरमीम मैंने मेरे हिस्से में करवा चुका तथा अब कब्जा करूगा तुम्हें जो करना वह करो तब अपीलांट को अपने अधिकार संशयप्रद लगे तब अपीलांटस ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा ज्ञान करवाया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पत्रावली की नकले मांगी जो दिनांक 19.03.2021 को प्राप्त हुई व अन्य आवश्यक राजस्व नकलें जो दिनांक 30.03.2021 को प्राप्त कर ज्ञान के बाद वकील मुकर्रर कर उक्त अपील वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत वाद में अपीलांटस को वादी के रूप में संयोजित किया गया जबकि वाद के साथ अपीलांटस का वकालतनामा नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2013 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा **By Metes & Bounds** सिद्धांत के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2013 बअनवान मादल खां वगैरा बनाम मिसरे खां वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.07.2013 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर